राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2020 जयपुर, दिनांक: 21 JAN 2020

आदेश

नगरीय निकायों की कमजोर आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं नीलामी में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों के निराकरण हेतु पिछले दिनों सितम्बर, 2019 में व्यापक विचार करने के पश्चात् राजस्थान (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 में संशोधन किये गये थे। ऐसे ही संशोधन राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 में किये गये हैं।

इन संशोधनों का प्रयोजन यह था कि प्राधिकरणों, न्यासों एवं अन्य नगरीय संस्थाओं के भूखण्डों की नीलामी जो रूक गई थी, में गति लाई जावे। इसके लिये वर्तमान बाजार की स्थिति को देखते हुए भूखण्डों का विक्रय करने के लिये न्यूनतम नीलामी दर को कम करने, आरक्षित दरें, जो कि अत्यधिक रख दी गई थीं, को पुनः निर्धारित कर कम तथा बोलीदाता को यथासम्भव सुविधा देते हुये उन्हें आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल किया गया था।

इन संशोधनों के बाद सभी नगरीय निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसकी क्रियान्विती कर अधिशेष भूखण्डों की नीलामी प्रक्रिया में गति लावें, ताकि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार हों। अतः सभी नगरपालिका संस्था, नगर विकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण यह रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें कि उक्त प्रावधानों के फलस्वरूप क्या–क्या कार्यवाही की गई है और क्या उपलब्धि रही हैं?

यह भी ध्यान में आया है कि न्यूनतम नीलामी दर से अधिक बोली प्राप्त होने के पश्चात भी बोली को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस संभावना में, कि दुबारा बोली लगाने से अधिक बोली प्राप्त होगी; बिना किसी कारण या आधार के पुनः नीलाम करने या पूर्णतया रद्द करने का आदेश अधिकारी जारी कर देते हैं, जिससे वर्तमान बाजार स्थिति में संस्थाओं को विकास हेतु आय प्राप्त नहीं होती।

अतः निर्देश दिया जाता है कि न्यूनतम बोली से अधिक बोली आने पर भूखण्ड की नीलामी को अस्वीकार नहीं किया जावें। न्यूनतम नीलामी दर से अधिक बोली प्रस्तुत होने के पश्चात भी यदि न्यास/प्राधिकरण/निकाय द्वारा बोली को स्वीकार नहीं किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों की सूची मय पत्रावली एक सप्ताह में राज्य सरकार को प्रेषित की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(भास्कर ए. सावंत)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति समस्त नगर निगमों/नगर परिषदो/नगरपालिका मण्डलों को भिजवाकर स्थिति प्राप्त कराने की व्यवस्था करावें।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम